जलवायु परिवर्तन नीति

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) और भूमि के परिशोधन (वृक्षहीन) करने के कारण होता है, जो हमारे समय की एक सबसे बड़ी समस्या है। यह वैश्विक संकट, वैश्विक स्तर के प्रतिक्रिया की मांग कर रहा है। यह इस ग्रह पर हमारे अस्तित्व को बनाए रख पाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उच्च तापमान, समुद्र का बढ़ता जल-स्तर, महासागरीय अम्लीकरण, पहले से अधिक घट रही प्राकृतिक आपदाएं और भयंकर बाढ़, सूखा और तूफान इस बात की पुष्टि करते हैं कि पृथ्वी की जलवायु का अभूतपूर्व गति से बदलना शुरू हो चुका है। जलवायु आपातकाल के दुष्परिणामों में युद्ध, भुखमरी, बीमारी, मरुस्थलीकरण, जबरन पलायन और प्रजातियों का विलुप्त होना भी शामिल है। हमें जलवायु-परिवर्तनकारी प्रदूषकों के वैश्विक उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक आधा और वर्ष 2050 तक निवल-शून्य करना होगा। बेहतर जलवायु और उत्सर्जन-मुक्त प्रौद्योगिकियों के प्रति लड़ाई में आम प्रयास और सुसंगत व व्यवहार्य राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है।

ध्येय

जलवायु संबंधी इस तबाही को रोकने के लिए, हमें जलवायु के प्रति न्यायपरक होना, प्रभावी शमन व अनुकूलन रणनीति बनाना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और एक जीवाश्म ईंधन मुक्त भविष्य की गारंटी देनी होगी।

उद्देश्य

वैश्विक जलवायु की इस आपात-स्थिति को एक वैश्विक स्तर की कार्रवाई के साथ ही निपटाया जा सकता है। इस पर तत्काल कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। इसलिए, ग्रींस के उद्देश्य हैं -

- जलवायु-परिवर्तनकारी प्रदूषकों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओज़ोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) सहित सिंथेटिक गैसों, जो मानव-जनित जलवायु-परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, के वैश्विक उत्सर्जन को रोकना।

- वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को कम-से-कम आधा करना, और वर्ष 2050 तक वैश्विक रूप से निवल-शून्य या निवल-नकारात्मक उत्सर्जन को प्राप्त करना।

- वैश्विक तापमान वृद्धि को कम से कम 1.5 °C तक सीमित करने के लिए कार्बन उत्सर्जन तथा भूमि के परिशोधन (वृक्षहीन) को कम करना। जिसके लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), क्योटो प्रोटोकॉल, और पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित वैश्विक प्रयासों को लागू करना।

- समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों का वर्तमान व पूर्व में जलवायु परिवर्तन में तुलनात्मक रूप से अधिक योगदान को देखते हुए इसके वैश्विक शमन तथा अनुकूलन के उपायों की ज़िम्मेदारी को समान रूप से साझा करने वाली बहुपक्षीय उत्सर्जन उन्मूलन संधि पर चर्चा करना।

- जीवाश्म ईंधन उद्योग को मिलने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी को खत्म करना। उत्सर्जन कटौती योजना के अनुरूप जीवाश्म ईंधन खनन, जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन और जीवाश्म ईंधन की खपत को चरणबद्ध रूप से खत्म करना।

- तंत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक निवल-शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था में स्थानांतरण करना जिसमें कार्बन पर एक मजबूत नियामक हस्तक्षेप और उतने ही मजबूत प्रभावी मूल्य के माध्यम से जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से बदलने की योजना शामिल है।

- उचित लक्ष्य और रिपोर्टिंग के साथ पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित, व्यापक, एकीकृत और साक्ष्य-आधारित उत्सर्जन में कमी की योजना के साथ प्रत्येक वर्ष के लिए वर्ष 2050 और उसके आगे के वर्षों तक अत्यधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वाले सभी क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय उत्सर्जन सीमा-रेखा खींचना।

- जलवायु परिवर्तन से पहले से ही गंभीर रूप से प्रभावित देशों के लिए अनुकूलन उपायों का समर्थन और वित्तपोषण करने के लिए एक प्रभावी वैश्विक तंत्र बनाना।

- उद्योगों द्वारा जलवायु कटौती लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने का समर्थन करना।

- जंगलों, वेटलैंड्स और अन्य महत्वपूर्ण निवल-शून्य पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे कार्बन-भंडारों के बचाव, संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्विकास का समर्थन करना।

कार्य योजना

ग्रींस अंतरराष्ट्रीय समझौतों को मजबूत करेगा और जलवायु परिवर्तन को कम करने और अनुकूल बनाने में देशों और लोगों की मदद करने के लिए स्पष्ट योजनाओं के माध्यम से वैश्विक और राष्ट्रीय उत्सर्जन को तेजी से कम करने की दिशा में काम करेगा। इसके लिए ग्रींस -

भविष्य की जलवायु

- एक जलवायु परिवर्तन अधिनियम बनाएगा जिसका लक्ष्य विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) को 1.5 °C से नीचे रखना होगा

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट निर्धारित करेगा

- जंगलों, पीट के मैदानों और तटीय व मुहाना क्षेत्रों सहित कार्बन-भंडारों और जलाशयों के संरक्षण और उनको बढ़ाने के लिए एक आपातकालीन अंतरराष्ट्रीय समझौते पर जोर देगा

- वर्तमान अर्थव्यवस्था और समाज को न्यायसंगत रूप से एक निवल-शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तित करेगा

- प्रमुख उभरती प्रौद्योगिकियों को अनुसंधान व विकास और पायलट परियोजनाओं के लिए निधि प्रदान करेगा
- जलवायु से संबंधित नुकसान और क्षति के लिए मुआवज़े पर जोर देगा
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी 13 का समर्थन करेगा, ताकि जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सके
- स्थानीय रूप से शून्य-कार्बन समुदायों और समाजों को बनाने के लिए काम करेगा
- ऐसे शमन व अनुकूलन कार्यक्रम बनाएगा जो नागरिकों के साथ-साथ उनकी महत्वपूर्ण संपत्ति और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा
- सभी सार्वजनिक निकायों और व्यवसायों को जलवायु आपातकालीन शमन के प्रति अपनी स्वयं की अनुकूलन योजनाओं को बनाने और स्थानीय रूप से निर्धारित योगदान (एलडीसी) देने के लिए प्रोत्साहित करेगा
- उच्च मात्रा में कार्बन की खपत वाले उत्पादों व सेवाओं, विशेष रूप से ऊर्जा-उत्पादन, उद्योग, परिवहन, और कृषि, वानिकी व अन्य भूमि उपयोग (एएफओएलयू) की मांग को कम करेगा
- परिवार नियोजन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, कम खपत और कम कार्बन वाले उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के उपयोग से संबंधित बदलाव को प्रोत्साहित करेगा
- पूरे समाज में बदलाव लाने के लिए एक कार्बन-कर (कार्बन-आधारित ईंधन के जलने पर लगाया जाने वाला कर) स्थापित करेगा और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करेगा
- पक्षपातपूर्ण विभाजन को ख़त्म कर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक क्रॉस-पार्टी इनर कैबिनेट की स्थापना करेगा

- उद्योगों के लिए कानूनी रूप से तय उत्सर्जन की कम होती सीमाओं को लागू करने और उन सीमाओं को तोड़ने पर दंड-व्यवस्था लागू करेगा
- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक और अंतरिम लक्ष्य बनाएगा
- शमन योजनाओं के साथ न्यायसंगत परिवर्तन में सीधे प्रभावित समुदायों का समर्थन करेगा।
- संयुक्त राष्ट्र निकायों के तत्वावधान में सभी अंतरराष्ट्रीय जलवायु संधियों का समर्थन करेगा।
- एक राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट नीति को अपनाएगा
- सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा अभियानों को लागू करेगा जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और व्यक्तिगत शमन रणनीतियों को समर्थन और बढ़ावा मिलेगा

ऊर्जा और परिवहन

- सभी क्षेत्रों में ऊर्जा-दक्षता में, विशेष रूप से आवास (रेट्रोफिटिंग के लिए धन सहित), उद्योग और परिवहन में, निवेश करेगा
- वाहनों और उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता मानकों को बनाएगा और उत्तरोत्तर बढ़ाएगा
- नई, स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समावेशी कार्यक्रम बनाएगा
- एक वैसे स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो मानक को अपनाएगा जो तेजी से हवा, सौर, महासागर/ज्वार, छोटे पैमाने पर पनबिजली, भूतापीय और अन्य नवीकरणीय बिजली स्रोतों के साथ दहन-आधारित और परमाणु ऊर्जा स्रोतों की जगह ले लेगा
- गैर-प्रदूषणकारी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर चलने के लिए समाज को समर्थ बनाएगा

- अपतटीय कुओं सहित नई पाइपलाइनों, या कोयले, तेल या गैस ड्रिलिंग या खनन को प्रतिबंधित करेगा
- नए और मौजूदा यूरेनियम खानों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के खुलने पर प्रतिबंधित लगाएगा
- यह सुनिश्चित करेगा कि मौजूदा तेल और गैस संचालन में गिरावट जारी रहे
- वर्ष-खंड 2030-35 तक कोलतार उत्पादन पर रोक लगा देगा क्योंकि यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है
- हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग (फ्रैकिंग) संचालन पर प्रतिबंध लगाएगा क्योंकि वे भूजल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, मीथेन रिलीज करते हैं और भूकंपीय गतिविधि का कारण बनते हैं
- आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत इमारतों के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा-दक्ष रेट्रोफिट लॉन्च करेगा
- आंतरिक दहन इंजन वाले यात्री-वाहनों की बिक्री पर वर्ष 2030 तक प्रतिबंध लगाएगा
- इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ती बनाएगी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार करेगा जिसमें पार्किंग की जगह भी शामिल हो
- शून्य-उत्सर्जन सक्रिय-परिवहन के पक्ष में एक राष्ट्रीय साइक्लिंग और वॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएगा
- एक हरित माल परिवहन कार्यक्रम (ग्रीन फ्रेट ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम) विकसित करेगा
- माल व रेल यार्ड की पटरियों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर जाकर पुनः बिछाने के लिए वित्तपोषण करेगा और रेल सुरक्षा नियमों को मजबूत करेगा, जिससे नियामकों को खतरनाक सामग्रियों से लदे ट्रेनों से आबादी वाले क्षेत्रों को बचाने में मदद मिलेगी

- स्थानीय रूप से समुदायों और उद्योगों के भीतर नवीनीकरणीय ऊर्जा के विकास और विस्तार की क्षमता का निर्माण करेगा
- किसी भी नए कोयले से चलने वाले बिजली स्टेशनों, गैस खानों या तेल के कुओं के खुलने पर, और किसी भी मौजूदा कोयला या गैस-बिजली केंद्रों या खानों के विस्तार पर प्रतिबंध लगाएगा
- ऐसे टिकाऊ ईंधनों के अनुसंधान, विकास और नियोजन को आगे बढ़ाएगा जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करें, और जैव विविधता या खाद्य सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं बनें
- विनिर्माण और उद्योग के लिए, विशेष रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन के प्रत्यक्ष उपयोग की जगह पर कार्बन-तटस्थ प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और नियोजन को आगे बढ़ाएगा
- एक कुशल, कम लागत वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का निर्माण करेगा

कृषि और वानिकी

- कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग को कम करने, कार्बन को बनाए रखने के लिए मिट्टी के कटाव को कम करना व उसका पुनर्निर्माण करना, और औद्योगिक रूप से पशुधन उत्पादन से हटने के लिए राष्ट्रीय मानकों को लागू करेगा
- औद्योगिक कृषि प्रणालियों की जगह पुनर्योजी कृषि का समर्थन करेगा
- स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान से भरे दीर्घकालिक कार्यक्रमों का उपयोग करके जंगल की आग से निपटने की तैयारियों को बढ़ाएगा
- कृषि, वानिकी और भूमि उपयोग के वैसे चलन-व्यवस्थाओं को बढ़ावा देगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषी पृथक्करण वातावरण में इसके उत्सर्जन से अधिक हो

- कार्बन भंडारण को कम करने वाली गतिविधियों जैसे भूमि की कटाई, और निर्वनीकरण, जिसमें समुद्री शैवाल (केल्प) के जंगलों और समुद्री-घास के तटों के खतरे भी शामिल हैं, पर प्रतिबंध लगाएगा
- जैविक खेती प्रथाओं और स्थानीय खाद्य उत्पादन व वितरण को बढ़ावा देगा
- बंद पशु आहार संचालन को धीरे-धीरे कम कर और मांस की खपत में कमी को प्रोत्साहित कर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों को कम करेगा

जीवाश्म ईंधन

- जीवाश्म ईंधन व परमाणु ऊर्जा रहित भविष्य के लिए एक कार्य योजना बनाएगा और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से खत्म करेगा
- जीवाश्म ईंधन, परमाणु ऊर्जा, बायोमास व अपशिष्ट भस्मीकरण, और जैव ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर देगा
- जलवायु परिवर्तन के लिए कम ज़िम्मेदारी वाले देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र विकसित करेगा

अनुसंधान और विकास

- समुद्र और वायु परिवहन से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अनुसंधान, विकास और नियोजन-व्यवस्था करेगा

- कृषि से ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन और कचरे को कम करने के लिए अनुसंधान, विकास और नियोजन-व्यवस्था को अंजाम देगा और कार्बन गहन खाद्य उत्पादन पर निर्भरता से दूर होने को प्रोत्साहित करेगा

संदर्भ:

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/

https://www.globalgreens.org/policies/climate-protection-plan

https://gp.org/cgi-bin/vote/propdetail?pid=522

https://www.greenparty.ca/en/platform/climate-emergency

https://policy.greenparty.org.uk/cc.html

https://europeangreens.eu/positions/climate-energy

https://indiagreensparty.org/policies/energy-and-climate-change/

https://greens.org.au/policies/climate-change-and-energy

https://www.greens.org.nz/climate_change_policy

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13